

31-1-20

पत्रावली राज पेश हुई।

उपर्युक्त अधिकारी सेजत द्वारा उनके पत्रोंक सूचना/2019/1815 दि० 24-12-19 के रजि न्यायालय को भेजा गया कि अपीलकर्ता के नाम से किसी प्रकार की R.T.I. पोस्टल सक्षि वेश नहीं किया जाना चाहा गया तथा न ही इन्वॉयस रजिस्ट्र में भी रजिस्ट्र होना पत्रावली के अंतर्गत से सक्षि पोस्टल कार्ड नैजागढ़ को भेजे गये नही पोस्टल के कोर भेजा कर रहे हैं। प्रार्थी को पहले R.T.I. के तहत निम्नानुसार प्रक्रिया पर उपर्युक्त न्यायालय सेजत में लोक सूचना अधिकारी सेजत (LDO) के सक्षि प्राप्त करके तथा उनके द्वारा निश्चित सम्पत्तियों में सूचना प्रदाय नहीं करके या अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

एसी स्थिति में यह अपील पोषकीय नहीं होने से निवृत्त की जाती है। अपीलकर्ता को सूचना प्राप्त करके हेतु उपर्युक्त अधिकारी सेजत (लोक सूचना अधिकारी) के सक्षि मम तिथावित पोस्टल कार्ड के प्रक्रिया पर पेश करके हेतु पर जारी किया जाये। पत्रावली श्रुता के तहत लोक सूचना न्यायालय से गठित से कर है।

  
जिला कलेक्टर, बाली